COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(317)

# न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 R ...... I/2016 निगरानी    निग - 2880 - I - 16

श्री ........ द्वारा आज दि. 26-8-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1—रामज्ञान पुत्र शंकरलाल जाति कोरी

2—कमलसिंह

3—रणवीर सिंह

4—राजबहादुर

पुत्रगण रामसिंह जाति तौमर ठाकुर समस्त निवासी ग्राम खेडा मेबदा तह0 व जिला मुरैना

......................आवेदक

बनाम

पंकजसिंह पुत्र सुग्रीव सिंह जाति गुर्जर ठाकुर निवासी तुस्सीपुरा मुरैना तह0 व जिला मुरैना म0प्र0

..................अनावेदक

## निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 13/05/2016 न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय वृत 4 तहसील मुरैना के प्र0क0 14/13-14×अ/6 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू राजस्व संहिता

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है —

1— यह कि ग्राम खेडा मेवदा तह0 व जिला मुरैना में स्थित कृषि भूमि पुराना 646 रकवा 1 वीघा यानी 0.209 है0 जिसका नया सर्वे क0 1758 रकवा 21 आरे के रतिया पुत्र औछा जाति कोरी भूमि स्वामी आधिपत्य धारी थे।

2— यह कि विवादित भूमि के रकवा 0.188 है0 भूमि को रजिस्टर्ड विकय पत्र

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - निगरानी-2880-एक/16 **जिला** - मुरैना

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 05-12-18 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।<br><br>**प्रशासकीय सदस्य** | |